

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-2

संख्या- /XVII-2/21-1(17)/2018

देहरादून: दिनांक 07 सितम्बर, 2021

समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त, 2009 द्वारा निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित है। अतः प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कोचिंग संस्थाओं के चयन में गुणवत्ता/पारदर्शिता के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश 790 दिनांक 18 अगस्त, 2009 के योजना का क्रियान्वयन के प्रक्रिया शीर्षक में गठित समिति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन। - अध्यक्ष
2. सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
3. सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
4. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
5. सचिव, आई.टी., उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
6. अपर सचिव, समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
7. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड। - सदस्य
8. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड। - सदस्य सचिव/संयोजक

2- शासनादेश संख्या-790/XVII-1/2009-04(03)/2009 दिनांक 18 अगस्त, 2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(एल.फैनई)

प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1144/XVII-2/21-1(17)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-वरिष्ठ निजी सचिव, मा. समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-समस्त नामित सदस्य।
- 4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5-निदेशक, कोषगार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 6-निदेशक समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 7-निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7-समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, संक.क.)
- 8-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11-आदेश पंजिका।

(एल.फैनई)

प्रमुख सचिव।